

तारीख हुकम

20/01/26

याची वकील उपस्थित। विपरीत बाबत
 में स्वरुप हो चुके हैं। याची वकील की
 याची के आवेदन व वकील की रिपोर्ट से
 प्राप्त मॉड्यूल रिपोर्ट पर एकपक्षीय अदालत
 को सुना जाय। पमावकी व पमावकी
 के संलग्न राजस्व वेकडे का अवलोकन
 किया गया। यह अवलोकन याची के
 आवेदन एवं रिपोर्ट के आधार पर अदालत
 अलग से किया जाय। शान्ति फाउण्डे
 किया गया। वकील की रिपोर्ट में प्राप्त
 मॉड्यूल रिपोर्ट (आदेश) का अधिक अंग
 रहेगी। पमावकी फलल सुमा होय।
 दर्ज नम्बर से कम हो, राजस्व १५५
 है।

सहायक जज (SDO)
 जयपुर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठाधीन अधिकारी श्री कल्पित शिवरान, आर.ए.एस

अन्ततः समतःसिंह बनाम खीमसिंह तमैरा

मुकदमा संख्या 84/2021

दिनांक:-20.01.2026

प्राथीगण

1. समतःसिंह पुत्र तिमनसिंह बनाम
2. रतनसिंह पुत्र तिमनसिंह
जाति राजपुत निवासी
पनावासपुरा, जाजवा तहसील
गिड़ा।

विप्राथीगण

1. खीमसिंह पुत्र पूजराजसिंह
2. रूपकंवर पति तुमसिंह
3. दीपसिंह पुत्र भीमसिंह
4. तुमसिंह पुत्र भीमसिंह
5. बाबुसिंह पुत्र भीमसिंह
6. आम्बसिंह पुत्र कुम्भसिंह जाति
राजपुत निवासी पनावासपुरा,
जाजवा तहसील गिड़ा।
7. तहसीलदार गिड़ा।



आवेदन अन्तर्गत धारा 251 -क (1) राज.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A
of the Rajasthan tenancy Act, 1955


उपस्थिति :- 1. श्री रिणछाराम शियाग

दिनांक:-20.01.2026

आदेश

प्राथी ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 364 ग्राम पनावासपुरा पटवार मण्डल जाजवा तहसील गिड़ा तक पहुँचने के लिए विप्राथी सं. 1 से 06 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 358 ग्राम पनावासपुरा पटवार मण्डल जाजवा तहसील गिड़ा में से होकर 15 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्राथी का आवेदन दर्ज कर विप्राथीगणों को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया। विप्राथीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्राथी वकील द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार गिड़ा को लिखा गया। मौका रिपोर्ट


क्षेत्रीय अधिकारी (SDO)
बायतु

निरीक्षक भू अभिलेख सवाऊ पदमसिंह द्वारा दिनांक 07.11.2025 को मौका स्थल का पटवारी को साथ रखकर निरीक्षण किया तथा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि प्रार्थीगण खातेदारों को राड़क मार्ग से अपनी खातेदारी भूमि मौजा पनावासपुरा पटवार मण्डल जाजवा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 364 रकबा 19.3035 हैक्टैयर में आने-जाने हेतु उससे लगते हुए विप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 41.6583 हैक्टैयर भूमि में से छोटे हुए छोकर गुजरना पड़ता है। इस हेतु प्रार्थीगण खातेदारों द्वारा आने जाने हेतु विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 358 में से होकर 15 फिट चौड़ा रास्ता चाहा गया है, प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि वर्तमान में मौके पर खाली है। तथा चाहे गये रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। तथा न ही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य कोई सीमा का विवाद या अन्य कोई राजस्व विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रस्तावित किये गये उक्त रास्ते की भूमि की का कुल रकबा 0.3966 हैक्टैयर बनता है। मौके की जांच का प्रतिवेदन तहसीलदार गिड़ा के माध्यम से प्राप्त हुआ।

तहसील कार्यालय से प्राप्त रास्ता कायम करने के प्रतिवेदन पर वकील एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 364 तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी स. 1 से 06 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 358 के खातेदारी खेत मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते से होकर ही आता जाता रहा है। तथा विप्रार्थीगण द्वारा आवागमन में बाधा पैदा करने पर ही प्रार्थी को विधिनुसार रिकॉर्ड में रास्ता कायम करने हेतु यह आवेदन पेश करना पड़ा है, इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं है। यह भी निवेदन किया है कि अगर प्रार्थी अपने परिवार को अन्यत्र आवाद भी कर दे तो भी प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 364 तक तो जाना ही होगा और उसके लिए विकल्प में एक मात्र प्रस्तावित रास्ता ही है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार 15 फिट चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाये, प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत है।

हमने प्रार्थी व विप्रार्थीगण के अधिवक्तागण को सुना उनके कथनों पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारों की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विद्यमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि

10
समकालीन (200)

मौजा पनावासपुरा, जाजवा के खेत खसरा नम्बर 364 रकबा 19.335 हैक्टेयर में आना-जाना कर सके। इसलिय प्रार्थी को अपने खेत में आने-जाने हेतु उससे लगते हुए विप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 358 रकबा 41.6583 हैक्टेयर में से होकर रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 06 के खातेदारी खेत की सीमा पर आई हुई ग्रेवल सड़क मार्ग से निम्न खसरान में से होकर खसरा नम्बर 364 तक पहुंचने हेतु 15 फिट चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाता है :-

नाम ग्राम	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा
पनावासपुरा	विप्रार्थी संख्या 01 से 06	358	0.3966 हैक्टेयर
योग		1	0.3966 हैक्टेयर

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल सी की दर प्रति हैक्टेयर 163000/- से दुगना देय होगा। तहसीलदार गिड़ा प्रार्थीगण को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 0.3966 हैक्टेयर की राशि 129292/- तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करें तथा प्रतिकर Compensation राशि का नियमानुसार खातेदारान् विप्रार्थी संख्या 01 से 06 को हिस्से अनुसार राशि 129292/- रुपये का भुगतान करें। तथा तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के सलग्न नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 20.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी
सहायक बायतु (SBO)
बायतु